

ज अदालत

342905 कायकारी बरुड

मुकाम

ममना मु 2

बनाम

बो 5 मु 2

किस्म मुकदमा

31-4-18

नं.

107

सन् 17

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारी अहकाम जो हुकम की तामी में जारी हुए
13/3/18	पत्रावली पेश हुई अर्धी कब्ज. उपस्थित मूल प्रकरण के साथ दिनांक 13-4-18 को पेश हो।	
14/4/18	पत्रावली पेश हुई अर्धी कब्ज. उपस्थित मूल प्रकरण के साथ दिनांक 7-5-18 मु-राक्षी पेश हो।	
7-5-18	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम राक्षी में पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता वक्त शिविर उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम बेसकलाई पटवार हल्का राक्षी भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 128 के आराजी सख्यां 180 रकबा 04-02 बीघा आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 के नाम संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें उपस्थित प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।</p> <p>बहस के दौरान प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा कथन कर निवेदन किया कि प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगणो को रेकार्ड एंव मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबंद किये जाना फरमावें। प्रकरण के अवलोकन/परिक्षण से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को विवादित आराजीयात में से जबरन बेदखल व आराजीयात का अन्तरण/बैचान कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।</p> <p>अतः ग्राम बेसकलाई पटवार हल्का राक्षी भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी सख्या 128 के आराजी सख्यां 180 रकबा 04-02 बीघा में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु विगत सुनवाई दिनांक 01.08.2018 को प्रार्थीगण के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को मूल वाद के निस्तारण तक पांबंद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में</p>	